सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्धता

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः शि०नि०बे० / नियोजन /23247-23502/2017-18 दिनांक: 21 अगस्त, 2017

विषयः-प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ क्रय किये जाने वाले जूते एवं मोजे के क्रयादेश, डिलीवरी प्वाइंट्स पर प्राप्ति, सत्यापन, टेस्टिंग, वितरण एवं भुगतान के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्याः 1085/79-5-2017-810/2017टी.सी. दिनांकः 23 मई, 2017 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निःशुल्क जूता एवं मोजा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। इसके अनुपालन में प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं मोजा (एक जोड़ी जूता एवं दो जोड़ी मोजा) उपलब्ध कराया जाना है। राज्य स्तर पर जूता एवं मोजा क्रय हेतु ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से जूता एवं मोजा(प्रति जोड़ी) की दरें एवं सफल निविददाताओं का शासनादेश संख्याः 1688/79-5-2017-810/2017टी.सी., दिनांकः 16 अगस्त, 2017(प्रति संलग्न) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस अनुक्रम में जूता क्रय किये जाने हेतु रू0 135.75(रू0 एक सौ पैंतीस, पचहत्तर पैसे) प्रति जोड़ी की दर से तथा मोजा क्रय किये जाने हेतु रू0 21.85(रू0 इक्कीस, पच्चासी पैसे) प्रति जोड़ी की दर से निम्नलिखित आपूर्तिकर्ताओं को जनपदों द्वारा क्रय आदेश निर्गत किये जाने हैं :-

जूता आपूर्ति हेतुः-

1.पावरटेक इलेक्ट्रोइन्फ्रा प्रा0लि0, आर 9/166 सेक्टर 9 राजनगर, गाजियाबाद Email- powertechelectroinfra@gmail.com Mob. No.- 9891177350	49 जनपदों की सूची(पृष्ठ संख्या- 01 से 16) संलग्न।
2. एक्स ओ फुटवियर प्रा0लि0, ए-122, मंगोलपुरी इण्डस्ट्रियल एरिया फेस-II, नई दिल्ली-110034। Email Id- mail@xofootwear.com Mob. No. - 9310103081	13 जनपदों की सूची(पृष्ठ संख्या- 01 से 05) संलग्न।
3. लिबर्टी शूज लिमिटेड, लिबर्टीपुरम, थर्टीन्थ माइलस्टोन जी.टी. करनाल रोड, पी.पी.ओ. बस्त्रा कुटेल, जनपद करनाल,हरियाणा Email Id- snd_lpm@libertyshoes.com Mob. No. - 9415252936	13 जनपदों की सूची(पृष्ठ संख्या- 01 से 06) संलग्न।

मोजा आपूर्ति हेतु:—

1. खादिम इण्डिया लिमिटेड, कन्करिया इस्टेट, फिफ्थ फ्लोर, 6, लिटिल रसेल स्ट्रीट, कोलकाता। Email Id- atanu.mukherjee@khadims.com Mob. No. - 9836188742	42 जनपदों की सूची(पृष्ठ संख्या— 01 से 14) संलग्न।
2. एस.आर. गारमेंट्स, #6-3-993 सेकेण्ड फ्लोर, सेकेण्ड क्रास, मारूथी नगर, अनन्तापुरामु, आन्ध्रप्रदेश—515004, Email Id- srgarments969@gmail.com Mob. No. - 9920347503	07 जनपदो की सूची(पृष्ठ संख्या— 01 से 03) संलग्न।
3. सुमाजा इलेक्ट्रोइन्फा प्रा0लि0, सी0—2001 / 22 इन्दिरा नगर, लखनऊ,226016 Email- electroinfra.sumaja@gmail.com Mob. No.- 7499120592	09 जनपदों की सूची(पृष्ठ संख्या— 01 से 03) संलग्न।
4. लिबर्टी शूज लिमिटेड, लिबर्टीपुरम, थर्टीन्थ माइलस्टोन जी.टी. करनाल रोड, वी.पी.ओ. बस्त्रा कुटेल, जनपद करनाल,हरियाणा। Email Id- snd_lpm@libertyshoes.com Mob. No. - 9415252936	09 जनपदों की सूची(पृष्ठ संख्या— 01 से 03) संलग्न।
5. रौशीना उद्योग लिमिटेड, टी.एन. टावर, 3rd फ्लोर, ए.टी.रोड, पल्टन बाजार, गोवाहाटी—781001। Email Id- rausheena.udyog@yahoo.co.in Mob. No. - 7003260791	08 जनपदों की सूची(पृष्ठ संख्या— 01 से 04) संलग्न।

उपर्युक्त आपूर्तिकर्ताओं को आवंटित डिलीवरी प्वाइंट—विकास खण्ड एवं नगर क्षेत्र की जनपदवार सूची संलग्न है।(सूची संलग्न)

1— **क्रयादेश जारी करना:—**

1.1 इस सम्बन्ध में अपने जनपद के समस्त विकास खण्ड एवं नगर क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र—छात्राओं की संख्या के आधार पर **(कक्षा— 1 से 3 हेतु फर्स्ट कैटेगरी, कक्षा—4 से 6 हेतु सेकेण्ड कैटेगरी तथा कक्षा 7 एवं 8 हेतु थर्ड कैटेगरी)** के निःशुल्क जूता एवं मोजा (पृथक—पृथक) उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद के लिए निर्धारित आपूर्तिकर्ता फर्म को जनपद / ब्लाक / नगर क्षेत्रवार **क्रयादेश दिनांकः 23.08.2017 तक जारी करना सुनिश्चित करें।** जूता / मोजा की कैटेगरी एवं साइज का विवरण निम्नवत् है:—

Category and Size of Shoes

Category	Class	Age	Size of Boy Shoes	Size of Girl Shoes
I	1-3	6-9	10, 11, 12, 13 (C)	9,10,11,12,13, 1
II	4-6	9-12	13 (C) 1, 2, 3, 4,5	1,2,3,4,5,
III	7-8	12-14	5, 6, 7	5,6,7

Category and Size of Socks

Category	Class	Age	Size of Socks for Boys	Size of Socks for Girls
I	1-3	6-9	According to Class and Age.	According to Class and Age
II	4-6	9-12	According to Class and Age.	According to Class and Age
III	7-8	12-14	According to Class and Age.	According to Class and Age

1.2 क्रयादेश में जनपद के विकास खण्डवार, नगर क्षेत्रवार फर्स्ट कैटेगरी, सेकेण्ड कैटेगरी तथा थर्ड कैटेगरी के छात्र एवं छात्राओं की संख्या के सापेक्ष जूता/मोजा की संख्या (पृथक–पृथक) स्पष्टतः अंकित की जाए और कुल योग भी अंकित किया जाये। क्रयादेश सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को ऊपर दिए गए ई–मेल पते पर तत्काल भेज दिया जाए एवं रजिस्टर्ड डाक से भी भेजा जाए तथा जारी किए गए क्रयादेशों की एक–एक प्रति ई–मेल आईडी directorbasiceducation@gmail.com तथा shoessocksetender@gmail.com पर इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त आपूर्तिकर्ताओं को आवंटित डिलीवरी प्वाइण्ट्स (खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर चिन्हित गोदाम/स्थान) की सूची सन्दर्भ हेतु संलग्न है। **इसमें यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो अपने स्तर पर संशोधन कर सभी संबंधित को अवगत भी करायें।** उपरोक्त क्रम में अपेक्षित है कि जनपद/विकास खण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर जूता एवं मोजा की प्राप्ति एवं सत्यापन, सैम्पल टेस्टिंग, वितरण, भुगतान एवं कटौती आदि के संबंध में निम्नांकित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न करें।

2–जूता/मोजा की प्राप्ति एवं सत्यापन

2.1 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर जूता/मोजा की **आपूर्ति की अन्तिम तिथि दिनांक 16.10.2017 है।**

2.2 विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर आपूर्ति प्राप्त किये जाने एवं विद्यालयों में वितरण हेतु संबंधित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। जनपद स्तर पर आपूर्ति/भुगतान संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।

2.3 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा एक विकासखण्ड/नगर क्षेत्र हेतु जूता/मोजा की पैकिंग पृथक–पृथक की जायेगी तथा आवंटित समस्त जूता/मोजा की संख्या की आपूर्ति एक कन्साइनमेन्ट में की जायेगी।

2.4 आपूर्ति के समय संबंधित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा चिन्हित नियत गोदाम/स्थान पर अनलोडिंग एवं स्टैकिंग करायी जायेगी, अर्थात वाहन से उतारने एवं नियत गोदाम/स्थान पर व्यवस्थित रूप से रखे जाने की प्रक्रिया करायी जायेगी, तथा आपूर्तित जूतों एवं मोजों की संख्या का सत्यापन किया जायेगा।

2.5 आपूर्ति के समय जूतों/मोजों की अनलोडिंग एवं स्टैकिंग की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी तथा इस पर होने वाले व्यय का वहन स्वयं आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा। परिवहन के समय हुई क्षति–विकृति की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी। ऐसी स्थिति में समस्त क्षतिग्रस्त जूते/मोजे तत्काल ही आपूर्तिकर्ता को वापस कर दिये जायेंगे, जिनके सापेक्ष उतनी ही संख्या में जूते/मोजे पुनः आपूर्तिकर्ता द्वारा विलम्बतम दो सप्ताह में डिलीवरी प्वाइण्ट पर उपलब्ध कराने होंगे।

2.6 बेसिक शिक्षा निदेशालय से जूते एवं मोजों के नमूने जनपदों को भेजे जायेंगे, जिसे विकासखण्ड/नगरक्षेत्र स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे कि प्रथमदृष्टया आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्तित जूते/मोजे के डिजाइन एवं आकार के नमूनों से मिलान किया जा सके।

2.7 नोडल अधिकारी द्वारा आपूर्तिकर्ता को जूते/मोजे की प्राप्ति रसीद निम्नांकित प्रारूप पर दो प्रतियों में (पृथक–पृथक) उपलब्ध करानी होगी तथा उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी होगी।

प्राप्ति रसीद

(जूता एव मोजा हेतु पृथक–पृथक)

आपूर्तिकर्ता का नाम ....

विकासखण्ड/नगर क्षेत्र का नाम ....

जनपद का नाम : ....

प्राप्त जूता/मोजा की संख्या : (i) फर्स्ट कैटेगरी..............................

(जोड़ी मे) (ii) सेकेण्ड कैटेगरी..............................

(iii) थर्ड कैटेगरी..............................

कुल योग–

हस्ताक्षर ....

नाम ....

दिनांक : .... ब्लाक/नगर क्षेत्र : ....

मुहर ....

2.8 विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त जूतों एवं मोजों की स्टॉक एन्ट्री की जायेगी, जिसमें विद्यालयवार आवंटन/प्राप्ति का सम्पूर्ण ब्यौरा भी अंकित किया जाना होगा। उक्त एन्ट्री को संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।

3. <u>जूता/मोजा की टेस्टिंग</u>

3.1 जनपद के जिलाधिकारी द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा जिसके द्वारा विकास खण्ड/नगर क्षेत्र स्तर (डिलीवरी प्वाइण्ट) पर जूतों एवं मोजों की आपूर्ति के 03 दिवस के भीतर प्रयोगशाला जॉच हेतु रैण्डम आधार पर छात्र–छात्राओं के तीनों कैटेगरी के तीन–तीन सैम्पल एकत्र कर सील किया जायेगा। सील्ड सैम्पल को जिले स्तर पर एक कोड आवंटित किया जायेगा, जिसका निर्धारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा, ताकि सैम्पल की गोपनीयता बनी रहे।

3.2 रैण्डम आधार पर जूतों एवं मोजों की सैम्पल टेस्टिंग हेतु उक्त 03–03 सेट में से 01–01 सेट सील कर प्रयोगशाला से जॉच कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे। 01–01 सेट जनपद स्तर पर तथा 01–01 सेट खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सील्ड कर सुरक्षित रखा जायेगा। जूते/मोजों की लैब टेस्टिंग हेतु प्रयोगशालाओं की सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी।

3.3 जनपदों द्वारा सैम्पल की प्रयोगशाला मे जॉच करायी जायेगी तथा जॉच रिपोर्ट के आधार पर ही जनपदों द्वारा आपूर्तिकर्ता के बिल का भुगतान किया जायेगा। इस संबंध में सम्पूर्ण विवरण जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा।

3.4 सैम्पल टेस्टिंग में आने वाले व्यय का वहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा, जिसका समायोजन भुगतान हेतु प्रस्तुत अन्तिम बिल से किया जाना होगा।

3.5 सैम्पल टेस्टिंग हेतु भेजे गये जूते/मोजे तथा सैम्पल टेस्टिंग के उपरान्त प्राप्त जूतों/मोजों का विवरण भी विकासखण्ड/नगरक्षेत्र स्तर पर स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

3.6 **यदि सैंपल टेस्टिंग की रिपोर्ट संतोषजनक प्राप्त नहीं होती है, तो आपूर्तिकर्ता को इस संबंध में दी गयी सूचना के 15 दिवस के अन्दर संबंधित विकास खण्ड/नगर क्षेत्र में आपूर्तित समस्त जूतों/मोजों को आपूर्तिकर्ता द्वारा विद्यालय स्तर से प्राप्त कर, उसके सापेक्ष उतनी ही संख्या के जूते/मोजे विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराये जाने होंगे। इस संबंध में समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी व इस प्रकिया में होने वाले समस्त व्यय का वहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा।**

4. <u>जूता/मोजा का वितरण</u>

4.1 सैम्पल टेस्टिंग की रिपोर्ट संतोषजनक होने की स्थिति में समस्त जूतों एवं मोजों का विद्यालयवार वितरण कराये जाने की व्यवस्था खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जायेगी।

W

4.2 खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयवार वितरित जूतों एवं मोजों की संख्या व प्राप्ति का विवरण सुरक्षित रखा जायेगा।

4.3 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने जनपद में उपर्युक्त समस्त कार्यवाही अपने पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में सम्पन्न करायेंगे तथा इस हेतु वे उत्तरदायी होंगे।

5. भुगतान

5.1 आपूर्तिकर्ता द्वारा विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर आपूर्ति के पश्चात विकासखण्ड/नगर क्षेत्र में आपूर्तित जूतों एवं मोजों का बिल (पृथक–पृथक) संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। बिल के साथ आपूर्तिकर्ता द्वारा संबंधित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी से प्राप्ति रसीद की एक प्रति मूल रूप में संलग्न की जानी होगी।

5.2 आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ अपनी कम्पनी के बैंक खाते का विवरण, जिसमें भुगतान की धनराशि हस्तान्तरित की जानी होगी, उपलब्ध कराया जायेगा यथा– खाताधारक का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम एवं बैंक का आई०एफ०एस०सी० कोड आदि।

5.3 आपूर्तिकर्ता से बिल प्राप्त होने तथा सैम्पल टेस्टिंग की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता के बिल का परीक्षण कराकर नियमानुसार कटौतियों के उपरान्त भुगतान आपूर्तिकर्ता के खाते में सीधे किया जायेगा।

5.4 आपूर्तिकर्ता को बिल के भुगतान किये जाने के समय सैम्पल टेस्टिंग शुल्क का समायोजन किया जाना होगा तथा इसका विवरण संचित किया जायेगा।

5.5 भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ आपूर्तिकर्ता द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि उनके द्वारा निष्पादित अनुबन्ध की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन किया गया है।

6. विलम्ब से आपूर्ति पर भुगतान से कटौती

6.1 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर जूतों/मोजों की आपूर्ति की अंतिम तिथि दिनांक: **16.10.2017** है। इस तिथि के उपरान्त विलम्ब की स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आपूर्तिकर्ता पर दण्डस्वरूप उनके भुगतान में से निम्नवत् कटौती की जायेगी:–

Delay	Penalty imposed
First week	1% value of the delayed quantity.
Second week	2% value of the delayed quantitly.
Third week	3% value of the delayed quantity.
Fourth week	4% value of the delayed quantity.
Fifth week	5% value of the delayed quantity.
Subject to a maximum of penalty of 5% value of the delayed quantity. If the supplier still fails to deliver the Shoes/Socks, even after the Fifth week, the Authority may exercise the option of termination of Agreement and forfeiture of the Security Deposit amount. For avoidance of doubt, it is made clear that for calculation of Penalty "Part of the week"shall be treated as "Full Week"	

7. विद्यालय स्तर पर रख–रखाव

7.1 विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक द्वारा प्राप्त जूतों एवं मोजों की स्टॉक एण्ट्री स्टॉक रजिस्टर में की जानी होगी।

7.2 विद्यालय में जूतों एवं मोजों के प्राप्त होते ही विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों तथा अभिभावकों की उपस्थिति में छात्र–छात्राओं को जूतों एवं मोजों का वितरण किया जायेगा तथा वितरण रजिस्टर में छात्र अथवा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर प्राप्ति के रूप में किये जायेंगे।

7.3 खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा स्टॉक रजिस्टर में दर्ज एण्ट्री को प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

7.4 खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी वितरण का अनुश्रवण करने हेतु एक टीम का गठन करेंगे। निरीक्षणकर्ताओं द्वारा जूतों एवं मोजों की प्राप्ति एवं छात्र–छात्राओं को वितरण के संबंध में अपनी निरीक्षण आख्या में अंकन किया जायेगा तथा प्रति दिवस वितरण की सूचना जनपद स्तर पर प्रेषित करेंगे।

7.5 आपूर्तित जूतों एवं मोजों की वारंटी आपूर्ति तिथि से एक वर्ष (12 माह) निर्धारित की गयी है। यदि वारंटी अवधि के अंतर्गत जूतों/मोजों में मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट उत्पन्न होता है, तो आपूर्तिकर्ता को इस संबंध में दी गयी सूचना के 15 दिवस के अंदर डिफेक्टेड जूतों/मोजों को आपूर्तिकर्ता द्वारा विद्यालय स्तर से उठाया जाना होगा तथा उसके सापेक्ष उतनी ही संख्या में जूते/मोजे विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराये जाने होंगे।

8. जूते एवं मोजे की आपूर्ति एवं तत्संबंधी इन्वेंट्री का मैनेजमेंट <u>उ0प्र0 प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स)</u> के प्राविधानों के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाय तथा इस प्रयोजन पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान वित्तीय नियमों तथा इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाये।

अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि यह एक समयबद्ध एवं छात्रहित में सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं विलम्ब को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। कृपया जूता एवं मोजा की लैब टेस्टिंग के उपरान्त प्रथम दिवस से ही स्कूल स्तर पर वितरण प्रारंभ कर दें तथा नियमित रूप से सूचना निदेशालय को ई–मेल: directorbasiceducation@gmail.com एवं shoessocksetender@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नक–उक्तवत्।</u>

भवदीय,

21.8.17

डॉ0(सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह)
शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0: शि0नि0बे0/नियोजन/23212-23302 /2017–18 तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0, लखनऊ।
5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6. अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0, इलाहाबाद।
7. वित्त नियंत्रक(बेसिक शिक्षा), शिक्षा निदेशालय/बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
8. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने मण्डल के जनपदों में जूतों एवं मोजों की आपूर्ति तथा वितरण का नियमित अनुश्रवण करें तथा निदेशालय को रिपोर्ट भेजें।
9. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
10. जूतों/मोजों की आपूर्ति हेतु चयनित आपूर्तिकर्ता को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया आपूर्ति की स्थिति से नियमित रूप से सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

21.8.17

डॉ0(सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह)
शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश।